17.7.XVIII आदेश: आविदिका उप. पालना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं. जिसके लिये JDR को स्मरण पत्र जारी हो. पत्रावली दि0 7.8.XVIII को पेश हो।

20.7.XVIII तहसीलदार (उपखण्ड), श्रीगंगानगर द्वारा जारी पत्रांक 1733 दि 17.7.XVIII प्राप्त होने पर पत्रावली पेशी से ली गयी. शामिल हो. जिसके अनुसार इस न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 396/2013 में पारित निर्णय/डिक्री दि 5.2.~~XVIII~~ XVI की पालना में कब्जा दिलवाया गया है. ऐसी स्थिति में पत्रावली नस्तीबद्ध की जाती है, पत्रावली कायदा व विधान के [illegible] [illegible] की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो.

(श्रीमती रीना छींपा)